रोज़े का हुक्म

﴿ حكم الصيام ﴾

[हिन्दी – Hindi – هندي]

मुहम्मद बिन सालेह अल–उसैमीन रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ حكم الصيام ﴾

« باللغة الهندية »

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पहला अध्याय

रोज़े का हुक्म

रमज़ान का रोज़ा, अल्लाह तआला की किताब (कुरआन करीम), उसके पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और मुसलमानों की सर्वसम्मति के द्वारा प्रमाण–सिद्ध एक कर्तव्य (फरीज़ा) है। अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ

وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٤ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ ﴾ (البقرة: ١٨٣ - ١٨٥)

"ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम सयंम और भय अनुभव करो। गिनती में कुछ ही दिन हैं, लेकिन अगर तुम में से जो इंसान बीमार हो या सफर में हो, तो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले और जो इसकी ताक़त रखता हो फिद्या में एक ग़रीब को खाना दे, फिर जो इंसान भलाई में बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर अमल रोज़ा रखना ही है, अगर तुम जानते हो। रमज़ान का महीना वह है जिसमें क़ुर्आन उतारा गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शक है और जिसमें मार्गदर्शन की और सत्य तथा असत्य के बीच अन्तर की निशानियाँ हैं, अतः तुम में से जो व्यक्ति इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिन्ती पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है। वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की प्रदान की गई हिदायत (मार्गदर्शन) के अनुसार

उसकी बड़ाई बयान करो और उसके शुक्रगुज़ार रहो।'' (सूरतुल–बक़राः183–185)

तथा पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः

«بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان». متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «وصوم رمضان، وحج البيت».

''इस्लाम की नीव पाँच चीज़ों पर आधारित हैः इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई वास्तविक उपास्य नहीं और इस बात की गवाही देना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं, और नमाज़ स्थापित करना, और ज़कात (अनिवार्य धार्मिक–दान) देना, और अल्लाह के घर का हज्ज करना और रोज़े रखना।'' (बुखारी व मुस्लिम)

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि: **''और रमज़ान के रोज़े रख़ना और अल्लाह के घर का हज्ज करना।''**

तथा रमज़ान के रोज़े की अनिवार्यता पर समस्त मुसलमानों की सर्वसम्मति है। अतः जो आदमी रोज़े की अनिवार्यता का इन्कार करे, वह मुर्तद (अधर्मी) काफिर है, उस से तौबा करवाया जाएगा, यदि तौबा करके उसकी अनिवार्यता को स्वीकार कर ले तो ठीक, अन्यथा उसे काफिर होने के कारण क़त्ल कर दिया जाएगा।

रमज़ान का रोज़ा सन् 2 हिज्री में अनिवार्य हुआ। चुनाँचे अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 9 साल रमज़ान के रोज़े रखे।

रोज़ा प्रत्येक आक़िल (बुद्धिमान) व बालिग़ (व्यस्क) मुसलमान पर अनिवार्य है।

इसलिए काफिर पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है और न ही उस के रोज़ा को स्वीकार किया जाएगा यहाँ तक कि वह मुसलमान हो जाए।

इसी प्रकार छोटे बच्चे पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए। बच्चे की बुलूगत (व्यस्कता) की पहचान यह है कि वह 15 वर्ष का हो जाए, या उसके नाभि के नीचे के बाल उग जाएं, या स्वपनदोष आदि के द्वारा वीर्य पात होने लगे। तथा बच्ची के व्यस्क होने की एक अधिक पहचान यह भी है कि उसे हैज़ (माहवारी) आने लगे। अतः जब भी बच्चे के अन्दर इन में से कोई चीज़ (पहचान) पाई जाए तो वह बालिग हो गया। किन्तु बच्चे को रोज़ा रखने का आदेश दिया जाएगा अगर व बिना किसी हानि के उसकी ताक़त रखता है, ताकि वह रोज़े से मानूस (परिचित) हो जाए और उसकी आदत पड़ जाए।

इसी तरह पागलपन या दिमाग़ खराब होने या किसी अन्य कारण से बुद्धिहीन हो जाने वाले आदमी पर भी रोज़ा अनिवार्य नहीं है। इस आधार पर जब मनुष्य इतना बूढ़ा होजाए कि प्रलाप बातें बकने (बड़बड़ाने) लगे और समझ–बूझ की शक्ति (विवेकी शक्ति) समाप्त हो जाए, तो उस पर न रोज़ा रखना अनिवार्य है और न ही उसके बदले में खाना खिलाना।